कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522—2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522—2288655

संख्या : ५०। /ले0अ0(पेंशन)/मु0अ0(हा0) दिनांक : 22/03/2017

ई—मेल/ Website

समस्त आहरण एवं वितरण इकाई
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर टासंमिशन कारपोरेशन लि0।

विषय : पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स का कारपोरेशन के आदेश संख्या 991 दिनांक 07.10.2016 के अनुसार अर्हकारी सेवा के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त उल्लिखित विषय का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत कारपोरेशन के आदेश संख्या 991—पें0 एवं आर0—28/पाकालि/16—60—पी/98 दिनांक 07.10.2016 के अन्तर्गत पेंशनर्स की अन्तिम पेंशन पुनरीक्षित की जानी है और इस सम्बन्ध में प्रकरण निरन्तर इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कतिपय अभिलेखों की आवश्यकता के दृष्टिगत त्वरित गति से प्रकरणों के निस्तारण में कठिनाई आ रही है।

उदाहरणस्वरूप कारपोरेशन के कार्मिकों को पंचम वेतनमान 01.01.1996 एवं छठा वेतनमान 01.01.2006 स्वीकृत हुआ है। पंचम वेतनमान में वेतनमान 5850—9400 अथवा 6000—10400 स्वीकृत हुआ वह छठे वेतनमान में पुनरीक्षित होकर 9300—34800 कर दिया गया। कारपोरेशन के आदेश संख्या 991—पें0 एवं आर0—28/पाकालि/16—60—पी/98 दिनांक 07.10.2016 में उन कार्मिकों की पेंशन, जिन्हें 1996 में 5850—9400 वेतनमान प्राप्त हो रहा था ₹ 7545 निर्धारित की गयी, जबकि जिन्हें 6000—10400 वेतनमान प्राप्त हो रहा था, उन्हें अन्तिम पेंशन ₹ 7680 निर्धारित की गयी है। इस प्रकार छठे वेतनमान में एक ही वेतनमान से सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनर्स की अन्तिम पेंशन में अन्तर हो सकता है, यदि पंचम वेतनमान में उनके वेतनमान में अन्तर रहा हो।

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि त्रुटिरहित अन्तिम पेंशन पुनरीक्षण के लिए पेंशनर्स द्वारा अन्तिम वेतन के साथ—साथ वह वेतन किस वेतनमान में प्राप्त किया जा रहा था, ज्ञात होना अतिआवश्यक है। पेंशनर्स के जो प्रकरण मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) कार्यालय में उनके अन्तिम तैनाती कार्यालय द्वारा अग्रसारित किये जाते है उनमें मात्र अन्तिम आहरित वेतन का ही उल्लेख होता है, जिसे उनके पी0पी0ओ0 में भी अंकित किया जाता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि कारपोरेशेन के आदेश संख्या 991—पें0 एवं आर0—28/पाकालि/16—60—पी/98 दिनांक 07.10.2016 के अन्तर्गत पेंशन, त्रुटि रहित एवं त्वरित गति से पुनरीक्षित करने हेतु उनके आवेदन पत्रों के साथ उनके पेंशन के प्रारूप—1 एवं 2 तथा उनके सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ व उस पृष्ठ जिसपर उनका वेतन पंचम तथा छठे वेतनमान के अन्तर्गत पुनरीक्षित किया गया हो, की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न कर पंजीकृत पत्र के माध्यम से कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

(सत्यानन्द दीक्षित)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 401 / ले0अधि0(पें0) / मु0अ0(हा0) / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रासंमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(सत्यानन्द दीक्षित)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 401 / ले0अधि0(पें0) / मु0अ0(हा0) / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / केस्को कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा) / (नियोजन) / (कम्प्यूटराइजेशन) / (सामग्री प्रबन्ध) / (जांच समिति) / (रेस्पो) / (नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई) / (उर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय) / सचिव, विद्युत सेवा आयोग / निदेशक (विद्युत प्रशिक्षण संस्थान) / अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मुख्यालय।

(सत्यानन्द दीक्षित)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 401 / ले0अधि0(पें0) / मु0अ0(हा0) / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को पाकालि के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद, उ0प्र0, 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, लखनऊ।।

पँजीकृत

22/3/17

(सत्यानन्द दीक्षित)
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)